संख्या–3214/9–1–15–466 सा/2013टीसी

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,,
सचिव,,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ:दिनांक: 12 अगस्त, 2015

विषयः– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कम में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30 अगस्त,2013 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय के संविदा सफाई कर्मचारियों की संविदा धनराशि पुनरीक्षित की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–562/दस–54 (एम) 2008 टी0सी0, दिनांक 30 अगस्त, 2013 के कम में शासनादेश संख्या–1081/9–1–14–466 सा/2013, दिनांक 31 जुलाई, 2014 द्वारा उक्त प्राविधानों के अनुसार संविदा पर नियुक्ति सफाई कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम तथा उस पर राज्य कर्मचारियों को समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि को जोडते हुए संविदा पुनरीक्षित धनराशि पर आने वाले व्यय–भार को निकाय अपने स्रोतो से वहन करने का प्रस्ताव संबंधित निकाय बोर्ड/सदन से पारित करने के उपरान्त भुगतान की स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिया गया था। उक्त के अनुकम मे आपके पत्रांक–सांख्यिकी सेल(च)/488/संविदा सफाई, दिनांक 08 जुलाई, 2015 एवं पत्रांक–सांख्यिकी सेल(च)/499/संविदा सफाई, दिनांक 28 जुलाई, 2015 तथा नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ, लखनऊ के पत्र संख्या–डी–368/एचडी/एनएसए, दिनांक 04 अगस्त,2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा शासन में प्राप्त कतिपय प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित 31 (मात्र इकतीस) नगरीय स्थानीय निकायों में कार्यरत संविदा सफाई कर्मचारियों को पुनरीक्षित पारिश्रमिक दिये जाने पर आने वाले व्यय–भार को निकायों द्वारा अपने स्रोतो से वहन करने का प्रस्ताव बोर्ड/सदन से पारित करके उपलब्ध कराया गया है।

2. उक्त संलग्न सूची में उल्लिखित 31 (मात्र इकतीस) निकायों के संविदा सफाई कर्मचारियों को पद का अनुमन्य वेतन बैण्ड रू.5200–20200 में न्यूनतम वेतन रू.5200/– एवं ग्रेड वेतन रू1800/–तथा उस पर समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि को जोड़ते हुए **तात्कालिक प्रभाव** से संविदा धनराशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/वेतन वृद्धि/सुविधा अनुमन्य नही होगा।

3. कृपया उक्त के संबंध में अपने स्तर से संबंधित निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न सूची के अनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1जिलाधिकारी संलग्न सूची में अंकित संबंधित जनपद के अनुसार **(द्वारा–निदेशक, स्था.निकाय,उ0प्र0,) लखनऊ।**

2संबंधित अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत संलग्न सूची के अनुसार**(द्वारा–निदेशक,स्था.निकाय,उ.प्र.लखनऊ)**

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या–3214 (1)/9–1–15–466सा/2013,टीसी दिनांक 12 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

नगरीय स्थानीय निकायों के नाम:–

कम	निकाय का नाम/जनपद	सदन/बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव की तिथि
1	नगर निगम लखनऊ, लखनऊ	30–03–2015
2	नगर पालिका परिषद नवाबगंज, बरेली	20–06–2015
3	नगर पालिका परिषद मुहम्मदाबाद,गाजीपुर	02–05–2015
4	नगर पालिका परिषद साण्डी, हरदोई	17–01–2015
5	नगर पालिका परिषद बांगरमऊ, उन्नाव	27–07–2015
6	नगर पंचायत करारी, कौशाम्बी	22–12–2014
7	नगर पंचायत खड्डा, कुशीनगर	07–02–2015
8	नगर पंचायत चितबडागॉव, बलिया	18–06–2015
9	नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, शामली	02–03–2015
10	नगर पंचायत बबेरू, बांदा	27–12–2014
11	नगर पंचायत शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	06–12–2014
12	नगर पंचायत अझुवा, कौशाम्बी	11–06–2015
13	नगर पंचायत शीशगढ़, बरेली	24–04–2015
14	नगर पंचायत खमरिया, भदोही	30–04–2015
15	नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई	14–05–2015
16	नगर पंचायत चुर्कघुर्मा, सोनभद्र	10–02–2015
17	नगर पंचायत कोटरा, जालौन	12–06–2015
18	नगर पंचायत उसैहत, बदायूँ	09–02–2015
19	नगर पंचायत तालबेहट, ललितपुर	30–03–2015
20	नगर पंचायत राजापुर, चित्रकूट	27–08–2014
21	नगर पंचायत शंकरगढ़, इलाहाबाद	01–05–2015
22	नगर पंचायत गुलडिया, बदायूँ	08–07–2015
23	नगर पंचायत जंगीपुर, गाजीपुर	12–06–2015
24	नगर पंचायत पाली, हरदोई	25–02–2015
25	नगर पंचायत मझौलीराज, देवरिया	29–05–2015
26	नगर पंचायत महोना, लखनऊ	25–04–2015
27	नगर पंचायत सिढपुरा, कासगंज	15–03–2015
28	नगर पंचायत फूलपुर, आजमगढ	20–12–2014
29	नगर पंचायत अतरौलिया, आजमगढ	28–11–2014
30	नगर पंचायत डासना, गाजियाबाद	06–05–2015
31	नगर पंचायत टोडीफतेहपुर,झासी	30–06–2015

(कुल इकतीस मात्र निकाय)

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।